



पणजी गोवा पुलिस ने 'तहलक' पत्रिका के संस्थापक संपादक तुरुण तेजपाल को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। तेजपाल पर उनकी सहयोगी महिला पत्रकार ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यहां की स्थानीय अदालत ने शनिवार शाम उनकी जमानत अर्जी खारज कर दी थी।

जिला व सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई के तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारज करने के 90 मिनट बाद पुलिस के साथ उनका चूहे-बिल्ली का खेल खत्म हो गया। तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर दो दिनों से बहस जारी थी। अभियोजन पक्ष ने तेजपाल की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया।

डोना पाउला में अपराध शाखा के मुख्यालय में 50 साल के तेजपाल को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। अपराध शाखा के मुख्यालय में तेजपाल अपने परजनों के साथ अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे थे। अदालत ने कहा था कि वह शाम 4:30 बजे तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुनाएगी। तेजपाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी, बेटी, भाई और उनके दोस्त संजय रॉय पुलिस चौकी से बाहर आए। तेजपाल को ज़रूरी चिकित्सा जांच के लिए ले जाया जाएगा।

सट्टिंग ऑपरेशनों के जरूरी खोजी पत्रकारिता करने के लिए मशहूर तेजपाल गोवा और दिल्ली की पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे। पुलिस ने शुक्रवार तक के दिल्ली में तेजपाल के आवास पर छापेमारी भी की थी। सत्र न्यायाधीश के अंतरिम संरक्षण दिए जाने के बाद तेजपाल गोवा आए। उन्हें अग्रिम जमानत अर्जी पर अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी से संरक्षण हासिल था।

यह पूरा मामला 20 नवंबर को उस वक्त सामने आया जब तेजपाल ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने महिला पत्रकार से 'दुरुव्यवहार' किया। तेजपाल ने अपने माफ़ेनामे में यह भी कहा कि वे अपने पद से छह महीने के लिए खुद को अलग कर रहे हैं। मामला सामने आने के बाद तेजपाल अपना बयान बदलते रहे। तेजपाल ने बाद में यह दावा भी किया कि महिला पत्रकार के साथ जो कुछ हुआ वह आपसी सहमति से हुआ था। उन्होंने पीपी टिा की नषिठा पर भी सवाल उठाए। पीपी टिा का आरोप था कि इस महीने के शुरू में गोवा में आयोजित 'तहलक' के कार्यक्रम के दौरान तेजपाल ने पांच सतारा होटल की लफ़्ट में दो बार उसका यौन उत्पीड़न किया।

न्यायाधीश प्रभुदेसाई ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारज कर दी। अभियोजन पक्ष ने यह

कहते हु तेजपाल की जमानत क वरिोध किया कि उन्हें हरिसत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है क्योंकि प्रथम दृष्टया बलात्कर क मामला बनता है।
बहरहाल, न्यायाधीश ने तेजपाल को इस बात की इजाजत दी कि अगर उन्हें हरिसत में ले लिया जाता है तो पूछताछ के दौरान अगर वे चाहें तो दिन में क बार कुछ समय के लिए अपने वकील की मदद ले सकते हैं। तेजपाल को घर में बना हुआ खाना खाने की भी इजाजत दी जा गी।

तेजपाल की वकील गीता लूथरा ने कहा कि वे अभी सत्र अदालत के आदेश को चुनौती नहीं देंगे। अदालत क फैसला आने से पहले ही तेजपाल अपराध शाखा के मुख्यालय में मौजूद थे। न्यायाधीश ने सुबह में शाम 4:30 बजे के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहरहाल, फैसला आखिरकर रात आठ बजे सुनाया गया।

गोवा पुलिस ने तेजपाल पर बलात्कर, बंधक बनाकर बलात्कर करने और क महिला पत्रकर के शीलभंग करने क मामला दर्ज किया है। अगर तेजपाल को इस मामले में दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें कम से कम दस साल की जेल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है।

सरकारी वकील सरेश लोटलकर ने दलील दी कि तेजपाल को पुलिस हरिसत में भेजा जाना चाहिए। ताकि उनसे उचित तरीकेसे पूछताछ हो सके। सरेश ने कहा कि तेजपाल अपना बयान बार-बार बदलते रहे हैं और अब दावा कर रहे हैं कि उनका पक्ष सुना नहीं गया। उन्होंने जज से कहा- आरोपी अपने अलग-अलग बयानों से किसी गरिगटि की तरह रंग बदल रहे हैं।

इस बीच, अदालत में मौजूदगी के वक्त तेजपाल पर क शख्स ने कला झंडा फेंका। लेकिन वे कर में दाखल हो ग। जिससे झंडा उन्हें नहीं लगा। सरेश ने कहा कि इस महीने के शुरू में गोवा के जसि होटल में घटना हुई, वहां की सीसीटीवी फुटेज बलात्कर के आरोप की पुष्टि के पर्याप्त संकेत देती है। सरकारी वकील ने यह दलील भी दी कि तेजपाल गोवा पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे थे और वे शुक्रवार को अदालत से अंतरमि राहत मिलने के बाद ही पेश हु।

उन्होंने आरोप लगाया कि तेजपाल ने पूर्व में शकियतकर्ता के परिवार पर दबाव बनाने क प्रयास किया था। उन्होंने इस संबंध में दल्लि में दर्ज कराई गई प्राथमिकी क जकिर किया। वकील ने कहा कि आरोपी के पहले के आचरण से इस बात को बल मिलता है कि वे जांच में दखल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पी। ति। अपने बयानों पर कयम रही है।

(ई। न। स व । जंसी)